## राजस्थान सरकार
## कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ.3(8)डीओपी/ए-II/2013 पार्ट- II जयपुर, दिनांकः 17.3.2023

## अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2 का संशोधन.-** राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के खंड (क) के उप-खंड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निजी सहायक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-I" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **नियम 6 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (1) के खंड (क) के परंतुक (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. **नियम 21 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 21 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिक", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिक" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. **नियम 23 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 23 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. **नियम 24 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 24 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिकों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. **नियम 29 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 29 में,-

(i) शीर्ष में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी;

जारी 2 पर



13/2023

(ii) उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) उप-नियम (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिकों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**8. नियम 37 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 37 के उप-नियम (1) के परन्तुक (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**9. अनुसूची-I का संशोधन.-** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में, शीर्ष **निजी विंग** के अधीन,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 11 को 11क के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा; और

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 10 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् तथा इस प्रकार पुन: संख्यांकित क्रम संख्यांक 11क और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 11 और उसकी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | वरिष्ठ निजी सचिव | - | 100 | निजी सचिव | अधीनस्थ लिपिकवर्गीय सेवा (निजी विंग) में सम्मिलित समस्त पदों पर 25 वर्षों का अनुभव। | 1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य<br>2. संबंधित प्रशासनिक विभाग का उप शासन सचिव<br>3. दो वरिष्ठ उप-विभागाध्यक्ष या जहां उप-विभागाध्यक्ष न हो वहां, संबंधित विभाग के अगले वरिष्ठतम अधिकारी। | चेयरपर्सन<br>सदस्य<br>सदस्य | - |

(iii) क्रम संख्यांक 12 के सामने स्तंभ 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "निजी सहायक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-I" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) क्रम संख्यांक 13 के सामने स्तंभ 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "निजी सहायक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निजी सहायक ग्रेड-I" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) क्रम संख्यांक 13 के सामने स्तंभ 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिक" के स्थान पर "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(vi) क्रम संख्यांक 14 के सामने स्तंभ 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिक" के स्थान पर "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**2. अनुसूची-III का संशोधन.-** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-III के शीर्ष में विद्यमान अभिव्यक्ति "आशुलिपिक" के स्थान पर "निजी सहायक ग्रेड-II" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

17/3/2023

(राम निवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव।

13/2023